

**मूल वाद में डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )  
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S  
उनवान

1. श्री दिलीप उर्फ चतुर्भुज पिता जगा उर्फ जगजीवन गुर्जर निवासी इन्दौर मध्यप्रदेश।
2. श्री रामुलाल उर्फ डालु पिता जगा उर्फ जगजीवन गुर्जर निवासी इन्दौर मध्यप्रदेश।

.....वादीगण

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का बडियार तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम**  
**मुकदमा न0 : 158 / 24 (वाद) GCMS No. – 2024 / 355**

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर 1371, 1413, 1414, 1444, 1446, 1458, 1459, 1460, खाता संख्या 48 पर दर्ज आराजी नम्बर 1472 एवं खाता संख्या 49 पर दर्ज आराजी नम्बर 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751 भूमि में वादीगण का नाम चतुर्भुज पिता जगा के बजाय चतुर्भुज उर्फ दिलीप पिता जगा उर्फ जगजीवन एवं डालु पिता जगा के बजाय डालु उर्फ रामुलाल पिता जगा उर्फ जगजीवन संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.02.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली

